

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
आदेश

आ0सं0-08/अ0प्र0-07-08/2023

1021

/पटना, दिनांक:- 27-7-26

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-16.12.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013, विभागीय पत्रांक-12402 दिनांक-13.12.2018, वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन0आर0ई0पी0 स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06, 07 एवं 08 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/पदनाम/पदस्थापित/सेवानिवृत्त के कार्यालय का नाम/पूर्व से प्राप्त वेतनमान	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	वरीय/कनीय लेखा लिपिक के पद पर योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	प्रथम सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान	तृतीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री गणेश कुमार/उच्चवर्गीय लिपिक/कार्यपालक अभियंता, स्था0क्ष0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद (वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे0-4600)	13.01.1966/ 31.01.2026	16.10.1986	09.08.1999	-	-	दिनांक- 16.10.2016 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान लेवल-08
2.	श्री ललन कुमार सिंह/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड (वेतनमान-5000-8000/-)	24.06.1964/ 30.06.2024	02.06.1990	09.10.1993	-	दिनांक- 02.06.2010 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे0-4600	दिनांक- 02.06.2020 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान लेवल-08

3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।


4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि, जो ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में

निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्रि/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।


7. यदि कर्मी का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मी को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

/पटना, दिनांक:-


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद/कार्य प्रमंडल, बेलसंड, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023-1020

/पटना, दिनांक:- 27.1.20

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख